न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:–813/2020 तारीख रजु 23.11.2020

जीसीएमएस आई0डी0:–2020/00392

सुनीता पत्नि घनश्याम रोतवाल जाति जाट निवासी बेरखेडा तहसील हिण्डौन सिटी राज0

––सायल

बनाम

1. सियाराम पुत्र सम्पत जाति ब्राहम्ण आयु 55 साल निवासी बेरखेडा थाना सुरौठ जिला करौली राज0
2. कृष्णकांत आयु 38 साल
3. हेमेन्द्र आयु 33 साल
4. शैलु आयु 22 साल
5. शीला पत्नि सियाराम आयु 50 साल
6. सुमन पत्नि कृष्णकांत आयु 33 साल

} पिसरान सियाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बेरखेडा तहसील सूरौठ

––गैरसायलान–06

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री शांति स्वरूप शुक्ला वकील सायलान

2. श्री अशोक नीमनका गैरसायलान

निर्णय दिनांक 8-4-2025

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि खाता संख्या नया 291 व पुराना खाता संख्या 267 के अनुसार आराजीयात खसरा न0 1152 रकबा 0.23 है0, 1153 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0. 48 है0 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0 में स्थित है।

आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में सायला 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है, तथा गैरसायल स0 1 सियाराम अपने 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, और अपने अपने हिस्से के अनुसार सायला व गैरसायल स0 1 अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजीयात का मौके पर बाहमी तौर पर बंटवारा हो रहा है, लेकिन अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है।

गैरसायलान न0 2 ता 6 गैरसायल स0 1 के पुत्र पत्नि व पुत्रवधु है, जिनकी नियत के बंदयांति है और वे आये दिन सायल के हिस्से की आराजीयात की डौल मेंड को तोडते रहते है, कब्जे काश्त में बाधा विवाद करते रहते है। सायला के हिस्से की जमीन को जबरन छीनने पर आमादा है। और सायला को उसके हिस्से की आराजीयात से बेदखल करने पर आमदा रहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:49 IST
Reason: SelfAttested

सायला ने गत फसल में अपने हिस्से की आराजीयात में फसल बाजरा काश्त की थी, जिसे सायला ने ही दरोह किया है, तथा अब सायला ने अपने हिस्से की आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में फसल सरसों बो रखी है। इस प्रकार का प्राईमा फेसी केस बखूबी साबित है।

बाका दिनांक 05.11.2020 को समय करीब सुबह 8 बजे की है कि सायला अपनी उक्त आराजीयात में अपने हिस्से की जमीन में बोयी हुयी फसल की साल संभाल कर रही थी तो इतने में ही गैरसायला न0 1 ता 6 मौके पर आये और आते ही सायला से बोले कि अब तुम इन आराजीयात की भूल जाओं, अब हम कब्जा करके रहेंगे। सायला ने कहा कि भाईयों मैने मेरे हिस्से की जमीन में ही काश्त किया है, आपका मेरे हिस्से की जमीन मे क्या लेना देना है, आप तहसील में चलकर विधिवत बंटवारा करवा लो, इस पर भी गैरसायल स0 1 तहसील चलने को तैयार नहीं हुआ और गैरसायलान न0 1 ता 6 ने सायला को ऐलानिया धमकी दी कि हम बिना विधिवत बंटवारा हुये तेरे हिस्से की जमीन को रहनव्यय कर देगें, और तुमको जबरन बेदखल करके रहेंगें। सायला ने गैरसायलान को काफी हाथा जोडी कर समझाया तथा गणमांय व्यक्तियों से भी समझाया लेकिन अज खुद मानने को तैयार नही है। तथा अपनी हठधर्मी पर आमदा है। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकतों में सफल हो गये तो सायला को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नहीं हो सकेगी। इसके बाद सायला तहसीलदार सूरौठ के यहा गयी और विधिवत बंटवारा के लिये निवेदन किया तो तहसीलदार ने सक्षम अदालत से आदेश लाने को कहा।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सायला को उसकी आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र खसरा न0 1152, 1153 कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील सूरौठ को उसके 1/2 हिस्से की भूमि को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त करने देवे। सायला को जबरन उसके हिस्से की आराजीयात से बेदखल नहीं करे। बिना विधिवत बंटवारा उक्त आराजीयात को रहनव्यय ना करे। तथ[illegible] के हिस्से की जमीन की डौल मेंडो को नहीं तोडे। कोई दख[illegible] करे। तथा गैरसायलान न ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही कि[illegible] अन्य से करावे जिससे सायला को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचती हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान की ओर से श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। गैरसायलान की ओर से उपस्थित श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता के द्वारा वकालतनामा एवं जबाब पेश नहीं किया गया तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 28.11.2024 से गैरसायलानों के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील सायलान ने दस्तावेज़ी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 291 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील सूरौठ पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सायला को उसकी आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र खसरा न0 1152, 1153 कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील सूरौठ को उसके 1/2 हिस्से की भूमि को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त करने देवे। सायला को जबरन उसके हिस्से की आराजीयात से बेदखल नहीं करे। बिना विधिवत बंटवारा उक्त आराजीयात को रहनव्यय ना करे। तथा सायला के हिस्से की जमीन की डौल मेंडो को नहीं तोडे। कोई दखलन्दाजी किसी प्रकार की नहीं करे। तथा गैरसायलान न ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से कराने का निवेदन किया।

प्रकरण में एकपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 291 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील सूरौठ में सायलान व गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित होता है और सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से [illegible] पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं प्रकरण में मुल दावा तकास्मा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:49 IST
Reason: SelfAttested

पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 23.11.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान को विवादित आराजी खसरा न0 1152, 1153 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील सूरौठ में संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थी के हिस्से तक कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करने की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 8-4-25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 8/4/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:01:49 IST
Reason: SelfAttested